

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [seiaacg@gmail.com](mailto:seiaacg@gmail.com)

**विषय:-** राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 02/07/2020 को संपन्न 331वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार मौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.बाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई एवं श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुये। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

**एजेण्डा आयटम क्रमांक-1:** 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2:

गौण / मुख्य खनिजों, बिल्डिंग कंसट्रक्शन एवं परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेरसर्स श्री दीपक शर्मा (जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1199)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144625/2020, दिनांक 21/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/14, 15, कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 25,010 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के



में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री दौलत सिंह चंदेल (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1224)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 146858/2020, दिनांक 03/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खरारा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल- 0.283 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 1,000 टन प्रतिवर्ष एवं कशिंग उत्पादन क्षमता-1,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दुष्कारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**4. मेसर्स जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी (श्री सुनील कुमार गोदवानी), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 1227)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147238/2020, दिनांक 04/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित घुना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/5, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-14662.5 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी (श्री देवलाल साहू), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1230)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147390/2020, दिनांक 05/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील बं जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 255/2(पार्ट), 258/2(पार्ट), 253/1(पार्ट) एवं 253/2(पार्ट) कुल क्षेत्रफल-0.485 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।



समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वाछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वाछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स श्री महेश कुमार लोहानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम-जोरातराई, तहसील ब जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1219)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 146648/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघालित घूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील ब जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 167/5, कुल क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18.787.5 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।





समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्रीमती मीना रंगलानी (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1083बी)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44498/2017, दिनांक 28/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिथी होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल-1,498 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-28,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण कुमार रंगलानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-8/2017/3710 रायपुर, दिनांक 20/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2787/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 6 खदानें, क्षेत्रफल 5.42 हेक्टेयरहोना बताया गया है। जिसमें केवल विद्याराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्याराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2787/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती मीना रंगलानी के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/07/2009 से 28/07/2009 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का नवीनीकरण दिनांक 29/07/2009 से 28/07/2014 तक किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 29/07/2014 से 28/07/2029 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.दि./न.क. 25/1128 खैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कलकसा 0.8 कि.मी, स्कूल ग्राम-कलकसा 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल बलेदवपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 5 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,99,600 टन एवं गार्डनेबल रिजर्व 1,70,016 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,290 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। मू-भाग में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 4,290 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

#### वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	4,667	3	14,000	28,000
द्वितीय	4,667	3	14,000	28,000
तृतीय	4,667	3	14,000	28,000
चतुर्थ	4,667	3	14,000	28,000
पंचम	4,667	3	14,000	28,000

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गड्ढे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
14. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII(i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में सूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल - 1.498 हेक्टेयर, क्षमता - 28,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/899/ख.लि.03/राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2005-06	400
2006-07	400
2007-08	1,675
2008-09	1,620
2009-10	1,700
2010-11	2,820
2011-12	971
2012-13	280
2013-14	420
2014-15	30
2015-16	0
2016-17	0
2017-18	5,840
2018-19	7,115
2019-20	8,630

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.



- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2787/खलि 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 6 खदानें, क्षेत्रफल 5.42 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कलकसा) का रकबा 1.498 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कलकसा) को मिलाकर कुल रकबा 6.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. गार्डन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों यावत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
  - iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
  - iv. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
  - v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

- vi. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल (हरदी डोलोमाईट माईन), ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1275)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 52757 / 2020, दिनांक 27 / 03 / 2020।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 41, कुल क्षेत्रफल-6.055 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 91,584 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि कोविड-19 के लॉकडाउन एवं अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**10. मेसर्स अभिषेक चकधारी क्ले माईन (प्रो.- श्री शिवलाल चकधारी), ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1278)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 150646/2020, दिनांक 30/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499 एवं 525, कुल क्षेत्रफल- 4.682 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित रथल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स कांचन बेन चौहान (बाकल सोईल/ऑडिनरी क्ले क्वारी), ग्राम-बाकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 999)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44545/2019, दिनांक 05/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/04/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बाकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 287, कुल क्षेत्रफल-1943 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) क्षमता-1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्भति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पृथारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेश चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पनेका का दिनांक 29/03/1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** — माइनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत) किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2016/3080 रायपुर, दिनांक 27/01/2017 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माइनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3079/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 3.96 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदान का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3079/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** — लीज श्रीमती कंचन बेन चौहान के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/10/1997 से 15/10/2007 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 16/10/2007 से 15/10/2012 तक की अवधि हेतु किया गया। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक



सातवें	600	2	1,200	1,800
आठवें	600	2	1,200	1,800
नीवें	600	2	1,200	1,800
दसवें	600	2	1,200	1,800

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति नदी एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं अतिरिक्त 100 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र में 7 से 8 बड़े वृक्ष लगे हुये हैं। उस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा।
15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में ब्लॉकड रिजर्व हेतु किये गये गणना में धिमनी के क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉकड एरिया एवं रिजर्व की गणना नहीं की गई है। अतः उक्त का समावेश कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 287/2, कुल क्षेत्रफल – 1.943 हेक्टेयर, क्षमता – 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1639/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	ईट उत्पादन (नग)	पलाई ऐश (घनमीटर)	कच्चा माल (घनमीटर)	मिट्टी उत्पादन (घनमीटर)
1997	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
1998	1,00,000	100	200	100
1999	2,90,000	290	580	290
2000	59,000	459	918	459
2001	4,75,000	475	950	475
2002	6,20,000	620	1240	620



2003	7,15,000	715	1430	715
2004	7,00,000	700	1,400	700
2005	6,00,000	600	1,200	600
2006	6,10,000	610	1,220	610
2007	5,50,000	550	1,100	550
2008	35,000	350	700	350
2009	5,00,000	500	1,000	500
2010	5,50,000	550	1,100	550
2011	5,25,000	525	1,050	525
2012	3,50,000	350	700	350
2013	3,70,000	370	740	370
2014	1,96,000	196	392	196
2015	1,45,000	145	290	145
2016	3,30,000	330	660	330
2017	3,52,000	352	704	352
2018	4,45,000	445	890	445
2019	2,25,000	225	450	225

17. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/3079/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 29/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान क्षेत्रफल 3.96 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बाकल) का रकबा 1.943 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बाकल) को मिलाकर कुल रकबा 5.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित

खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project Proponent shall submit proposal for transfer of brick kiln within or outside the mine lease area and accordingly mining plan shall be revised.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project Proponent shall submit the details of coal requirement, disposal of fly ash and broken / defective bricks.
- v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- vi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (छ.ग. हाउसिंग बोर्ड डिविजन, जगदलपुर), ग्राम-नियानार, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1285)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 52861/2020, दिनांक 16/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-नियानार, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर में प्रस्तावित कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का कुल प्लॉट क्षेत्रफल - 4,78,600 वर्गमीटर (118 एकड़) एवं बिल्टअप क्षेत्रफल - 3,91,306.08 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 1.995 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले-आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, पर्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चंद्रकुमार ठाकुर, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

**1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —**

- निकटतम आबादी ग्राम-नियानार 1.19 कि.मी., शहर जगदलपुर 5.56 कि.मी., स्कूल जगदलपुर 4.64 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन जगदलपुर 3.92 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 6.23 कि.मी. दूर है। परियोजना अंतर्गत वन भूमि का क्षेत्र नहीं आता है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

## 2. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

Particulars	Area (M <sup>2</sup> )
Total site area	4,78,600
Permissible ground coverage @ 30%	1,43,580
Proposed ground coverage @ 13.02% of site area	62,304.39
Total Permissible FAR @ 1.25	5,98,250
Total FAR Proposed @ 0.66	3,18,058.08
Non FAR area & basement area	73,250
Builtup area	3,91,306.08
Landscape area (@ 67.57%) (With Playground and golf)	3,23,375.27
Unplanned landscape (@ 5.39%)	25,799.75
Open area (@ 72.98%)	3,49,175.02
Road area (@ 14.02%)	67,120.59
Parking area (Basement)	64,155
Maximum height of (Tower-A)	43.5 Meter
<b>During Operational phase</b>	
<b>Unit Type</b>	<b>Numbers</b>
Tower - A	1,540
Tower - B	332
Tower - C	165
Bungalow - D	24
Bungalow - E	1

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया है।
- परियोजना हेतु सुविधाओं का उपयोग लगभग कुल 27,932 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
- परियोजना के अंतर्गत जी+13 फ्लोर के बिल्डिंग, 50 बेड के अस्पताल, कॉमर्शियल बिल्डिंग एवं ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। बिल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 43.5 मीटर होगी। इस बाबत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाएगी।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न पयुजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – परियोजना के विकासोपरान्त ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन बिन पद्धति अपनायी जाएगी। डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था रखी जाएगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन-बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट

का उपयोग खाद बनाने में किया जाएगा। नॉन-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट एवं इनर्ट अपशिष्ट को शारकीय अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था संबंधी विस्तृत विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 8. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- **जल स्रोत** - परियोजना हेतु जल की आपूर्ति इन्द्रायती नदी से की जाएगी। जल उपचार हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण** - दूषित जल के उपचार हेतु एसबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 1,450 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, कलेक्शन टैंक, एसबीआर टैंक, फिल्टर फीड टैंक, स्लज होल्डिंग टैंक, एस.एच.टी. प्रेशर सेप्ट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, डिसइन्फेक्शन इकाई आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।
- अस्पताल से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु इपल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। इपल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ग्रीट चेंबर, प्राइमरी क्लेरीफायर, एक्टिवेटेड स्लज एक्सेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरीफायर, स्लज ड्राईजेशन सिस्टम, डिसइन्फेक्शन-न्यूट्रीएन्ट रिमूअल आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- आवश्यक जल, उत्पन्न दूषित जल की मात्रा एवं उपचार व्यवस्था संबंधी विस्तृत विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- **मू-जल उपयोग प्रबंधन** - परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-
  - (अ) ग्रहण एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  - (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** - रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24 नग रिचार्ज पिट (ग्यास 4 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। विस्तृत विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

- 9. **विद्युत सप्लाई** - परियोजना हेतु 8.7 मेगावॉट की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 750 के.व्ही.ए., 6 नग 500 के.व्ही.ए. एवं 2 नग 380 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकोस्टिकली

इंक्लीजर में स्थापित किया जाएगा, जिससे संलग्न चिमनी की ऊंचाई सी.पी.सी. बी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर रखा जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – परियोजना अंतर्गत बाउण्ड्री में 2 लाईनों में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्क्रीनिंग एवं ड्राईव-वे में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य माह अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा एवं प्रारंभ करने से पूर्व सूचित किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में दर्जित श्रेणी 8(बी) टाउनशिप एण्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall submit land ownership documents.
- ii. Project proponent shall submit revised land area statement of open area incorporating the area of roads, parking space, lawn, plantation and free space earmarking it on layout.
- iii. Project proponent shall submit the layout approval letter from T & C planning and building permission from local authority.
- iv. Project proponent shall submit NOC for high rise building from competent authority.
- v. Project proponent shall submit the certificate from forest department for distance between project site to Kanger Valley National Park.
- vi. Project proponent shall submit the layout of proposed plantation work, earmarking atleast 20 meter width of land for plantation all along the boundary and dense plantation in the area of sewage treatment facilities.
- vii. Project proponent shall submit copy of NOC from Water Resource Department, Government of Chhattisgarh for usage of surface water.
- viii. Project proponent shall submit the proposal of solid waste generated and its management including domestic hazardous waste along with details of proposed organic waste convertor.
- ix. Project proponent shall submit details of water requirement, waste water generated, and its treatment facility (Water Treatment Plant, STP & ETP) along with process flow diagram.
- x. Project proponent shall inform S.E.A.C, Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.



6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वाछित जानकारी एवं सनरत सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डी.आर. दर्श, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वाछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. यह परियोजना ईब नदी पर प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—

No.	Description	Details
1	Site	Latitude - 23°43'24" N Longitude - 83°54'25" E
2	Type of Project	Earthen Dam Irrigation Project
3	River	Ib River
4	Catchment Area	1,475 km <sup>2</sup>
5	Gross Storage Capacity	36.6 Million Cum
6	Live Storage Capacity	31.2 Million Cum
7	Dead Storage Capacity	5.4 Million Cum
8	Area Proposed under Irrigation	38,000 ha (Kharif 30,000 ha & Rabi 8,000 ha)
9	Length of Dam	1,850 meter
10	Maximum Height of Dam	35.71 meter
11	River Bed Level	407.29 meter
12	Total Submergence Area	467 ha
13	Private Submergence Land Area	235 ha
14	Forest Submergence Area	11 ha
16	Govt. Area under Submergence	64 ha
17	Land Area under River and Nalla	157 ha





g. ईआईए रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 50,000 हेक्टेयर से कम है तथा ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची में वर्णित सामान्य शर्तें लागू नहीं होती हैं। फलस्वरूप परियोजना बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अपडर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(सी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) रिवर वेल्थी प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 27.06.2020 in EIA report.
- ii. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project proponent shall explore the possibility of canal lining for conservation of water.
- iv. Project proponent shall submit copy of stage - I Forest Clearance.
- v. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, शेखरपुर मेजर टैंक प्रोजेक्ट, ग्राम-ढोड़ागांव, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1287)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए / सीजी / आरआई / 52894 / 2020, दिनांक 17 / 04 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रिक्कर वेल्थी परियोजना है। परियोजना ग्राम-ढोड़ागांव, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा स्थित कुल रिजर्वायर – 512 हेक्टेयर, कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 22,500 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे:- मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों

- पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
  3. उपरत क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
  4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
  5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
  6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डी.आर. दर्दा, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।



यह परियोजना मैनी नदी पर प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

No.	Description	Details
1	Site	Latitude - 22°42'50" N Longitude - 83°36'35" E
2	Type of Project	Earthen Dam Irrigation Project

3	River	Maini River
4	Catchment Area	387.35 km <sup>2</sup>
5	Gross Storage Capacity	59.84 Million Cum
6	Live Storage Capacity	57.3 Million Cum
7	Dead Storage Capacity	2.54 Million Cum
8	Area Proposed under Irrigation	22,500 ha (Kharif 20,000 ha & Rabi 2500 ha)
9	Length of Dam	1,975 meter
10	Maximum Height of Dam	46.55 meter
11	River Bed Level	494.95 meter
12	Total Submergence Area	512 ha
13	Private Cultivable Land	40 ha
14	Dence Forest Area	325 ha
15	Reserve Forest Area	3 ha
16	The State Govt. Area under Submergence	144 ha
17	Number of Villages Benefited	49
18	Right Bank Canal (RBC)	1670 meter

### 3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम-ढोढागांव 1 कि.मी., सीतापुर शहर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. दूर है।
  - पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. भूमि का विवरण – परियोजना ग्राम-ढोढागांव एवं तैदुदंड में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल डूबान क्षेत्रफल 512 हेक्टेयर है, जिसमें निजी स्वामित्व की सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर, शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 144 हेक्टेयर एवं वन भूमि का क्षेत्रफल 325 हेक्टेयर है। वर्तमान में निजी स्वामित्व की भूमि को क्रय नहीं किया गया है। वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।
  5. परियोजना से सीतापुर, फरसाबहार एवं पत्थलगांव विकासखण्ड के कुल 49 ग्राम लाभान्वित होंगे।
  6. परियोजना के डाउनस्ट्रीम में मैनी एनीकट 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट से उक्त क्षेत्र के कमाण्ड एरिया लगभग 1500 हेक्टेयर में भी सिंचाई की जाएगी।
  7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में परियोजना को प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। केवल बजट में सर्वे का प्रावधान किया गया।
  8. ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 50,000 हेक्टेयर से कम है तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची

में वर्णित सामान्य शर्तें लागू नहीं होती हैं। फलस्वरूप परियोजना बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(सी) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) रिवर वेडी प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई-

- i. Project proponent shall incorporate point wise reply of SEAC letter dated 27.06.2020 in EIA report.
- ii. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project proponent shall submit copy of stage - I Forest Clearance.
- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**15. गेशर खैरागढ़ मिनरल्स (पार्टनर- श्री राहुल म्हरके, बल्देवपुर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-बल्देवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनादगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1304)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152124/2020, दिनांक 18/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बल्देवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनादगांव स्थित खसरा क्रमांक 348/3,4,5,6, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,345 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारों का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरुण स्वामी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 22/03/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना** - मॉडिफाईड माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 888/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019 नवा रायपुर, दिनांक 11/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, क्वारी प्लान के अंतर्गत है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/90/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.62 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यारथीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यारथीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/90/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- लीज का विवरण** - लीज श्री मनीन्द्र नाथ पात्र के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/12/2008 से 30/12/2013 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/12/2013 से 30/12/2018 तक

की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में दिनांक 31/12/2018 से 30/12/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. भूमि स्वामित्व – भूमि मेसर्स खैरागढ़ मिनरल्स (श्री अजय मसीह) के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के आपन क्र./मा.धि./न.क्र. 25/1124 खैरागढ़, दिनांक 17/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 मीटर की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बल्देवपुर 0.7 कि.मी., स्कूल बल्देवपुर 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.7 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,28,502 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,56,810 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.17 हेक्टेयर है। ओपन कार्ट मेनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। भू-भाग में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 3,240 वर्गमीटर है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 13 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,600 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,000
द्वितीय	15,000
तृतीय	15,000
चतुर्थ	15,000
पंचम	15,000



12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.17 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल प्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी 1500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के घारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में (2 से 8 मीटर तक) उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में घुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 348/3,4,5,6, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 31/03/2014 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 30/06/2014 तक (जारी दिनांक से 90 दिवस) की अवधि हेतु जारी की गई थी। तत्पश्चात् क्षमता – 15,300 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक/992/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव दिनांक 04/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टन)
2008-09	निरंक
2009-10	निरंक
2010-11	205
2011-12	31
2012-13	45



2013-14	1,510
2014-15	1,125
2015-16	2,020
2016-17	3,550
2017-18	2,500
2018-19	15,291.53
2019-20	15,300
अप्रैल 2020 से मई 2020 तक	2,410

18. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनादगांव के झापन क्रमांक/90/ख. लि. 03/2020 राजनादगांव, दिनांक 09/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, क्षेत्रफल 8.62 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बल्देवपुर) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बल्देवपुर) को मिलाकर कुल रकबा 9.43 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

- माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बावत् संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।



- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अप्पर ईआईए, नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the compliance report of Environment Clearance.
- v. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and incorporate the detail alongwith photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**16. मेसर्स झूमरपारा डोलोमाईट क्वारी (प्रो.-श्री संजय केडिया), ग्राम-झूमरपारा, तहसील-सक्ती, जिला-जाजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1120)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 136134/2020, दिनांक 10/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-झूमरपारा, तहसील-सक्ती, जिला-जाजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 2333/8, कुल क्षेत्रफल-4.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-61,057.26 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शरद कुमार केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत झूमरपारा का दिनांक 13/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के ज्ञापन क्रमांक जेएनजी/डीओएल/एमपीएलएन-1108/एनजीपी, दिनांक 18/04/2013 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक /3022/गीण खनिज/ई-निविदा/न. क्र./2019-20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 42.75 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए

जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-बाँपा के ज्ञापन क्रमांक / 3021 / गौण खनिज / ई-निविदा/न.क्र./2019-20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. श्री संजय केंडिया के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संधन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-11/2011/12 रायपुर, दिनांक 07/05/2011 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जांजगीर-बाँपा, जिला-जांजगीर-बाँपा के ज्ञापन क्र./मा.वि./2518/2002, दिनांक 04/12/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-डूमरपारा 3.5 कि.मी. एवं स्कूल डूमरपारा 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान का पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
11. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान की एल.ओ.आई. एवं माइनिंग प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दरतावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. वैध माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. माइनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दरतावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन (श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 709)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74583/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 51289/2018, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित ग्राम-मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम-खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 27,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/12/2018 द्वारा उत्खनन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 20/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से

समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिवर्धना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में भागी नहीं मानित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिवर्धना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक घण्टाकार सत्रण के माध्यम से समाप्त हो गई।

(सोनाकर बिलास सिदधान)

सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति  
छत्तीसगढ़



(श्रीरमचंद्र शर्मा)

अध्यक्ष

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति  
छत्तीसगढ़